

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर
निविदा क्रमांक एफ/केवीके / पदमपुर /2025-26/54 दिनांक 07/5/2025

खुली निविदा-हिस्सा खेती

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्री गंगानगर के फार्म पर 15 हैक्टेयर भूमि पर वर्ष 2025-26 के लिये (खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26) फसलो के बीज उत्पादन एवं फसलोत्पादन के लिए हिस्सा खेती हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक 500 रु० नगद /डिमांड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्री गंगानगर (Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Sriganganagar) के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करने पर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म दिनांक 17.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए निविदा फॉर्म, धरोहर राशि 1,00,000 /- (अखरे रु एक लाख) का 25 प्रतिशत, यानि की रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए) का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्री गंगानगर (Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Sriganganagar) के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए) का डिमांड ड्राफ्ट (DD) के आभाव में निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी। शेष राशि सफल निविदादाता को निविदा खुलने की दिनांक के अगले दिन शाम 5.00 बजे तक जमा करवाने होंगे। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा फार्म धरोवर राशि के साथ दिनांक 17.05.2025 को 12.30 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी। निविदा दिनांक 17.05.2025 को दोपहर 1.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं शर्तें निविदा फार्म के साथ उपलब्ध कराई जावेगी। विस्तृत निविदा www.sppp.rajasthan.gov.in, www.raubikaner.org एवं <https://sriganganagar.kvk2.in/> पर देखी जा सकती है।

निविदादाता की किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं होगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

NIB CODE: SKA2526A0010

UBN No: SKA2526WSOB00021.


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर-श्री गंगानगर
Senior Scientist Cum Head
Krishi Vigyan Kendra
Padampur (Sri Ganganagar)

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर

हिस्सा खेती बाबत निविदा प्रपत्र

निविदा क्रमांक एफ/केवीके/पदमपुर/2025-26/54

दिनांक: 07/05/2025

1. योजना का नाम: हिस्सा आधारित खेती वर्ष 2025-26 के लिये (खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26)
2. निविदादाता का नाम:
3. निविदादाता का पूरा पता

(फोटो पहचान पत्र एवं मूल निवास प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि लगावे)

4. धरोहर राशि का विवरण:.....

रूपये 25000/- (पच्चीस हजार रुपए) का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर- श्री गंगानगर (Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Sriganganagar) के पक्ष में देय हो

5. खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26 में कार्य की दर जो निविदा दाता द्वारा देय है:-

विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत
अनाज/ बीज/ दाना उपज	निविदादाता /कान्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
	निविदादाता /कान्ट्रेक्टर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	

नोट: 100 प्रतिशत चारा निविदादाता का होगा।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने निविदा की समस्त शर्तों को सावधानी से पढ़ लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है मैं उल्लेखित सभी शर्तों पर कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल चलन वाला हूँ व मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मैं किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हूँ।

निविदादाता/कान्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम:.....

निविदादाता का मोबाइल नं.:.....

दिनांक :

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर
निविदा क्रमांक एफ/केवीके/पदमपुर/2025-26/54 दिनांक: 07/05/2025

क्र सं	केन्द्र का नाम: कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर, श्रीगंगानगर	
1	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2025 व रबी 2025-26
2	निविदादाता/ ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण	15.0 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के बीज उत्पादन एवम फसल उत्पादन
3	NIB Code:	SKA2526A0010

हिस्सा खेती बाबत निविदा की अनुबंध शर्तें

1.	निविदा फार्म कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक 500 रू० नगद /डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर- श्री गंगानगर (Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Sriganaganagar) के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म दिनांक 17.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
2.	निविदादाता को निविदा प्रपत्र बंद लिफाफे में दिनांक 17.05.2025 दोपहर 12.30 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा निविदाये कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर- श्री गंगानगर के कार्यालय में दिनांक 17.05.2025 दोपहर 1.00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारण वश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाये खोली जावेगी।
3.	मोहर बंद निविदा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर- श्री गंगानगर के नाम देय होनी चाहिये।
4.	भरे हुए निविदा फॉर्म धरोहर राशि 1,00,000/- (अखरे रु एक लाख) का 25 प्रतिशत यानि कि 25000/- रूपये (पच्चीस हजार रुपए) का डिमांड ड्राफ्ट (D.D.) जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्रीगंगानगर (Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Sriganaganagar) के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। 25000/- रूपये (पच्चीस हजार रुपए) का डिमांड ड्राफ्ट (D.D.) के आभाव में निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी निविदादाता होगी। शेष राशि सफल निविदादाता को निविदा खुलने की दिनांक के अगले दिन शाम 5.00 बजे तक जमा करवाने होंगे। सफल निविदादाता द्वारा अगर शेष राशि समय सीमा में जमा नहीं करवाने पर धरोवर राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
5.	कृषि कार्य हेतु उपयोग में आने वाले सभी यंत्र जैसे की ट्रैक्टर, डिस्क प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, हैरो, कल्टीवेटर, जिन्ट्रा, लेवलर, पाटा, बिजाई कि मशीन, स्प्रेयर आदि निविदादाता के होंगे। केन्द्र द्वारा ट्रैक्टर या कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा और न ही किसी प्रकार के ट्रैक्टर या यंत्रों का खर्च वहन करेगा। निविदादाता को आदेश देने से पहले यदि केन्द्र द्वारा बीजाई करवा दी जाती है तो खेत तैयारी एवं बीजाई में केन्द्र द्वारा उपयोग किए डीजल का खर्च निविदादाता को देना होगा।
6.	इस निविदा अंतर्गत केवल कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर के कृषि फार्म जहाँ है जैसे है की स्थिति में फसल उत्पादन हेतु ही वार्षिक अनुबंध हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। सफल निविदादाता का केन्द्र के फार्म पर लगे पेड़ों, बाग एवं अन्य किसी भी अन्य यूनिट जैसे कि नर्सरी आदि में

कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर पर हिस्सा आधारित खेती (खरीफ 2025 व रबी 2025-26) हेतु निविदा शर्तें


Senior Scientist Cum Head
Krishi Vigyan Kendra
Padampur (Sri Ganganagar)

	किसी भी प्रकार कि हिस्सेदारी नहीं होगी। इस पर पूर्ण अधिकार केंद्र का होगा।
7.	कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर कृषि भूमि एवं सिंचाई हेतु पानी (नहर की बाराबंदी के अनुसार) उपलब्ध कारवाई जाएगी एवं बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक व फफूंदनाशी की आपूर्ति कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर द्वारा की जावेगी परन्तु श्रमिक खर्च निविदादाता का होगा।
8.	फार्म पर देय हिस्सा आधारित खेती के क्षेत्रफल एवं फसल का निर्णय फार्म प्रभारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल घटाया/ बढ़ाया जा सकता है। निविदादाता/ठेकेदार अपनी इच्छा से फसल एवं फसल के क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकेगा। फसल व क्षेत्र के निर्धारण में निविदादाता/ठेकेदार का कोई एतराज मान्य नहीं होगा। निविदादाता/ठेकेदार को केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्णय मानने की बाध्यता होगी।
9.	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर-श्रीगंगानगर/ फार्म इंचार्ज के निर्देशानुसार करनी होगी तथा उनका श्रमिक खर्चा निविदादाता को वहन करना होगा।
10.	निविदादाता द्वारा बुवाई एवं दवा का स्प्रे, उर्वरक का उपयोग एवं अन्य शस्य क्रियाएं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर-श्रीगंगानगर/ फार्म इंचार्ज या उनके प्रतिनिधि की देखरेख में किया जावेगा परन्तु श्रमिक खर्च निविदादाता का होगा।
11.	फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य रसायन, पानी की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा परन्तु श्रमिक अवयव व उपकरण निविदादाता/ठेकेदार के ही होंगे।
12.	निविदादाता द्वारा फार्म पर समस्त कृषि कार्य जैसे बुवाई, सिंचाई, निराइ-गुड़ाई, खरपतवार निकालना, फार्म के कच्चे खाले तैयार करना, रासायनिक दवाओं का छिटकाव, उर्वरक को डालना, पक्के खाले की सफाई मिट्टी निकालना, पटले की साफ सफाई, रोगिंग, फसल कटाई, थ्रेशिंग आदि अन्य शस्य क्रियाएं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर-श्रीगंगानगर/ फार्म इंचार्ज या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार समय पर करना होगा। अगर निविदादाता द्वारा ऐसा न करने पर यह कार्य फार्म इंचार्ज द्वारा करवा दिया जायेगा जिसका श्रमिक का भुगतान निविदादाता को करना होगा, निविदादाता द्वारा श्रमिक भुगतान नहीं करने पर कार्य व्यय का भुगतान 2 प्रतिशत की पेनल्टी राशि जोड़कर धरोहर राशि में से या अंतिम भुगतान में से काट लिया जायेगा तथा निविदादाता के खिलाफ उचित कार्यवाही या निविदा तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।
13.	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर / फार्म इंचार्ज के दिशानिर्देशानुसार रोगिंग का कार्य समय पर करना होगा।
14.	निविदादाता को फसल की थ्रेशिंग के बाद पश्चात साफ किए फसल उत्पादन को फार्म इंचार्ज के दिशानिर्देशानुसार बोरियो में भरकर तौलकर तथा गोदाम में ढांग लगाकर रखना होगा। बीज की पैकिंग के लिए बोरिया एवं सुतली केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
15.	फसल जैसे मूंग, ग्वार, सरसों एवं चना की कटाई का कार्य हाथ से श्रमिकों के माध्यम से करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के अलावा अन्य फसल कटाई वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर / फार्म इंचार्ज के दिशा निर्देशानुसार करवानी होगी। यदि फसल कटाई हार्वेस्टर / कम्बाइन से करवाते हैं तो हार्वेस्टर / कम्बाइन को लाने कि जबाबदारी निविदादाता की होगी एवं हार्वेस्टर / कम्बाइन का खर्च निविदादाता को देना होगा। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
16.	निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन/रात को नहर पानी की सप्लाई पर आधारित रहेगा। सिंचाई का समय व अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जावेगा। निविदा दाता उस समय ही

	सिंचाई कर सकेगा। अगर निविदादाता द्वारा केन्द्र से सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सम्बन्धित साधन लेता है तो गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। एवं उतनी ही संख्या में गिनकर सही सलामत लौटाने होंगे अन्यथा: अन्तिम भुगतान एवं धरोहर राशि से कटोती की जायेगी।
17.	सफल निविदादाता को सभी फसलों की कटाई होने तक पूर्ण रूप से खरपतवार रहित रखना होगा चाहे इस हेतु बार बार निराई गुड़ाई करनी पड़े, अन्यथा फसल नुकसान, औसत उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी मानकर उत्पादन में कमी की भरपाई ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान की राशि में से (प्रत्येक फसलों अनुसार) काट लिया जायेगा या धरोवर राशि से भरपायी की जायेगी।
18.	फार्म पर स्थित पेड़ तथा तारबन्दी, सोलर सिस्टम, मोटर, तार, पाइप, सोलर प्लेट (तार व खम्भे) व अन्य सामान की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। खोने अथवा चोरी हो जाने पर ठेकेदार को उसकी पूर्ति करनी होगी।
19.	फसल को जंगली जानवर व अन्य किसी हानि से बचाने व रखवाली (दिन रात्री) हेतु सुरक्षा का कार्य निविदादाता को करना होगा।
20.	डिग्गी के पानी का उपयोग फार्म ईचार्ज के दिशा निर्देशों के अनुसार करना होगा।
21.	सिंचाई पानी/नहर का पानी का सम्पूर्ण उपयोग केवल और केवल कृषि विज्ञान केन्द्र के फार्म पर होगा, पानी किसी अन्य को नहीं दिया जावेगा, ऐसा करते हुये पाये जानें पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष / फार्म ईचार्ज द्वारा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
22.	फार्म पर खाले के पास, डिग्गी के आसपास कच्चे खाले पर सफाई का कार्य निविदादाता को करना होगा सफाई नहीं होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी और समस्त खर्च निविदादाता को देना होगा।
23.	फार्म पर आयोजित बीजोत्पादन कार्यक्रम का सम्पूर्ण कार्य, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष / फार्म ईचार्ज की देखरेख में करना होगा तथा कार्य रिपोर्ट का प्रत्येक माह प्रमाण पत्र लेना होगा जिसकी एक प्रति वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को देनी होगी।
24.	बीजोत्पादन कार्यक्रम को समय पर न करने व पशुओं द्वारा फसल को सम्पूर्ण व आंशिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में व चोरी आदि की वारदात की परिस्थितियों में नुकसान का आकलन कर नुकसान की भरपाई निविदादाता के अंतिम भुगतान व धरोवर राशि से संस्था हित में भरपायी की जायेगी।
25.	फसल की थ्रेशिंग के लिए हार्वेस्टर/ कम्बाइन / थ्रेशर आदि निविदादाता के होंगे एवं थ्रेशिंग का सम्पूर्ण खर्च एवं श्रमिक खर्च निविदादाता का होगा।
26.	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेशिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म ईचार्ज/ वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।
27.	फसलोत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (शीतलहर, ओलावृष्टि) /आगजनी आदि की स्थिति में हुई क्षति होने पर कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर, श्रीगंगानगर द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुआवजा या क्षतिपूर्ति या फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और नहीं ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजा या क्षतिपूर्ति की मांग करेगा।
28.	निविदादाता द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर कान्ट्रैक्ट बीच में ही बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा। तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा जो कि कान्ट्रैक्टर को मान्य होगा।
29.	फार्म केम्पस पर पशुधन रखने एवं पशु चराने या चारा फसल बिजाई करने की स्वीकृति नहीं होगी।

30.	खरीफ की फसल का उत्पादन 30 नवम्बर से पहले तथा रबी की फसल का उत्पादन 31 मई से पहले केन्द्र के गोदामों में जमा करना होगा अन्यथा: प्रतिदिन एक प्रतिशत के हिसाब से निविदादाता के हिस्से से कटौती की जावेगी।
31.	निविदादाता को केंद्र द्वारा खरीफ एवं रबी सीजन पूर्ण होने पर ही भुगतान किया जाएगा। केंद्र द्वारा आंशिक या बीच में कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान करने का निर्णय वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष / फार्म इंचार्ज कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर का होगा।
32.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण बीज उत्पाद केन्द्र को देना पड़ेगा, निविदादाता के हिस्से के बीज उत्पाद अथवा उत्पाद की एवज में निविदादाता को राज्य सरकार /केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य रहेगा उसके हिसाब से एव जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो उन फसलों का फसल उत्पादन गोदाम में जमा करवाने पर कृषि उपज मंडी पदमपुर के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का भुगतान कर दिया जाएगा। अन्तिम निर्णय वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, पदमपुर-श्री गंगानगर द्वारा किया जावेगा।
33.	किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता /ठेकेदार की होगी, संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर, श्रीगंगानगर किसी प्रकार का कलेंम राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही निविदादाता किसी प्रकार का कलेंम राशि की मांग करेगा या दावा प्रस्तुत करेगा।
34.	सभी फार्म कार्य कार्यालय समय के अनुसार करने होंगे।
35.	निविदादाता या उसके श्रमिक द्वारा अपने स्तर पर फार्म कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करता है तो समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
36.	निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा। किसी भी अवांछित आदमी को फार्म में आने की ईजाजत नहीं होगी।
37.	निविदादाता द्वारा हिस्सा खेती की भरी गई दर न्यूनतम /उच्चतम को मानने के लिए कमेटी बाध्य नहीं होगी, कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
38.	सफल निविदा दाता स्वीकृत कार्य करने से इंकार करता है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी अथवा निविदा दाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो भी उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी व करवाये गये कार्य का बकाया भुगतान जप्त करके ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।
39.	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदादाता/ठेकेदार को मानना बाध्य होगा। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र पदमपुर रहेगा।
40.	फसल की सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
41.	100 प्रतिशत चारा निविदादाता का ही होगा। थ्रेसिंग के तुरन्त बाद निविदादाता को चारा एक सप्ताह के भीतर उठाना होगा।
42.	सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
43.	फार्म से किसी भी तरह की सामग्री को बाहर ले जाने व लाने की लिखित अनुमति केंद्र प्रभारी से पूर्व में लेनी होगी व सामान केवल कार्यालय समय में ही लाया ले जाया जा सकेगा।
44.	फार्म प्रक्षेत्र में उगे पेड़ एवं अन्य सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। नुकसान होने पर निविदादाता/ठेकेदार से नुकसान वसूला जायेगा।
45.	निविदादाता/ठेकेदार द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई स्थाई/अस्थायी निर्माण नहीं किया जा

	सकेगा ।
46.	निविदादाता द्वारा अवयस्क श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा। निविदादाता एवं उसके कर्मचारी व उसके श्रमिक निविदादाता के ही सेवक होंगे उनका कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविधालय से कोई संबंध नहीं होगा।
47.	निविदादाता को नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प रू 500/- पर शपथ पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय मे निविदा स्वीकृत होने के दो दिनों के अंदर कार्यालय समय मे जमा करवाना होगा जिसमे उपरोक्त शर्तें स्वीकार करते हुये कार्य करने की सहमति प्रदान की जाए एव इसके अभाव मे जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सफल निविदादाता को कार्य करने के आदेश नहीं दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जबाबदारी निविदादाता की होगी ।
48.	निविदादाता को पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड व आधार कार्ड की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से लगानी होगी व निविदादाता को अपने बैंक खाते का विवरण भी जमा करवाना होगा ।
49.	निविदादाता को कृषि कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सलग करना अनिवार्य होगा ।
50.	निविदादाता निविदा शर्तों का अध्ययन करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये ।

**वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केंद्र, पदमपुर**

मैंने (निविदादाता) उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़ ली हैं तथा मुझे मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर हिस्सेदारी का कार्य करने के लिये सहमत हूँ । यदि मेरे द्वारा उक्त शर्तों का उलघन किया जाता है या मेरा कार्य किसी भी स्तर पर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो हिस्सा आधारित खेती के अनुबंध को निरस्त करके मेरी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी ।

हस्ताक्षर निविदादाता/ ठेकेदार

निविदादाता/ ठेकेदार का नाम.....

पता

दिनांक.....

मोबाइल न.....


Senior Scientist Cum Head
Krishi Vigyan Kendra
Padampur (Sri Ganganagar)